

परिशिष्ट-3

कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर के पत्र संख्या: 1149/स्टाम्प लिपिक-2013 दिनांक 31.07.13 के अन्तर्गत प्रारूप-4 में अंकित रू0 35,00,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर से।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 232(टांडा से रायबरेली सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर के कि0मी0 36.00 से कि0मी0 78.00 में चौड़ीकरण के निर्माण हेतु ग्राम-बलरामऊ परगना-बरौंसा तहसील-सदर जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)			योग	10% अतिरिक्त प्रतिकर	सम्पूर्ण योग
			बृक्ष	मकान	नलकूप / हैण्डपम्प			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
0.0250	35,00,000.00	87,500.00	—	—	—	87,500.00	8,750.00	96,250.00

(मु0 छान्बे हजार, दो सौ पच्चास रूपया मात्र)

पूँजीकृत मूल्य:—मालगुजारीX40गुना,
0.70X40=28.00(अठाइस रूपया मात्र)

(अमीन)
एन0एच0ए0आई,

(अमीन)
भूमि अध्याप्ति कार्यालय,

(अहलमद)
भूमि अध्याप्ति कार्यालय,

(प्रधान लिपिक)
भूमि अध्याप्ति कार्यालय,

उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन)सुलतानपुर।

सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी,
सुलतानपुर।